सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 भाद्र 6, गुरुवार, शाके 1947–अगस्त 28, 2025 अंक 22
Vol. 77 Bhadra 6 , Thursday, Saka 1947–August 28, 2025 No. 22

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ.1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अनिता देवी (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व अनिता कुमारी (पुराना नाम) कहलाती थी एवं जो अध्यापक लेवल I (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, घासी का वाला (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त थी, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरे पति एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम अनिता देवी उपनाम अनिता कुमारी (सिर्फ) को त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम अनिता देवी तथा उपनाम अनिता कुमारी ग्रहण करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम अनिता कुमारी (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम अनिता देवी द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम अनिता कुमारी तथा उपनाम..... (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में अनिता देवी नाम के रूप में तथा अनिता कुमारी उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तद्नुसार नये रखे नाम अनिता कुमारी उपनाम अनिता देवी के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम अनिता कुमारी तथा अनिता देवी का वर्णन किया है तथा दिनांक .....को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम अनिता कुमारी द्वारा जो पूर्व में अनिता देवी कहलाती थी, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–
1. दयानन्द शर्मा, व. अध्यापक
2. शेर सिंह शेखावत, अध्यापक एल–2

अनिता
हस्ताक्षर
नया नाम : अनिता देवी
पुराना नाम : अनिता कुमारी

प्रतिहस्ताक्षर
ममता गुप्ता
11.07.2025
प्रधानाचार्य एवं पदेन
पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
ग्रा.पं. गिरूड़ी (रा.उ.मा.वि. गिरूड़ी)
ब्लॉक–बानसूर, जिला– अलवर।

11914

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।